ायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)

मि.न.74 / 2020

दिनांक 28.1.2020

सरकार बनाम बनवारी

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम मोरधा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1263 / 59.71है0 किस्म गै0मु0 नदी मेंसे 1.0 है0पर बनवारी पुत्र ज्वारा जाति गुर्जर निवासी मोरधा तहसील कोटपूतली ने जौ की कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये । गैरसायलान द्वारा मौखिक रूप से उक्त आराजीयात पर अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया कोई जबाब , दस्तावेज पेश नहीं किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है गैर सायल का स्वंय की स्वीकारोक्ति के अनुसार उक्त आराजियात पर अतिक्रमण सिद्व होता है । पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार खसरा नंबर 1263 / 59.71 वाके ग्राम मोरधा की किस्म गै0 मु0 नदी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर अतिक्रमण कर नदी के स्वरूप को क्षति पहूचाने का है जिसमे माननीय उच्च न्यायालय राज0 द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीसन न.1536 / 2013 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 2.8.2004 में गै0मु0 नदी0 ,तालाब, जोहड,भराव,बहाव क्षेत्र की 1947की स्थिति कायम रखने के आदेश प्राप्त हैं।

अतः अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

तहसीलदार
कोटपूतली

Scanned by CamScanner

अतः गैरसायल बनवारी पुत्र ज्वारा जाति गुर्जर निवासी मोरधा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम मोरधा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1263/59.71है0 किस्म गै0मु0 नदी मे से 1.0 है0 भूमि पर अतिकमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा बोई गई फसल जौ को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिकमण करने के आरोप मे लगान राशी 2 रू. का पचास गुणा100रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते फसल निलामी बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 28.1.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner